भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 290

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

290. डॉ. राजेश मिश्राः

श्री पी. पी. चौधरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है और यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत राजस्थान सहित कुल कितने राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करने और बिलिंग दक्षता में सुधार करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग, वितरण स्वचालन, डेटा वैश्लेषिकी और ग्रिड निगरानी समाधान जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वितरण हानि में कमी, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि के संदर्भ में अब तक उक्त योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 290 के संबंध में भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।

स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण हेतु अवसंरचना कार्यों तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की यूटिलिटी को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रू. तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रू. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों (फरवरी, 2026 तक) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति **अनुबंध-I से III** पर है।

वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने तथा ऊर्जा लेखांकन को सुनिश्चित करके समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

- नए उपकेंद्रों की स्थापना तथा मौजूदा उपकेंद्रों का उन्नयन।
- नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) की स्थापना तथा मौजूदा वितरण ट्रांसफॉर्मरों का संवर्द्धन।
- पुराने कंडक्टरों को बदलना।
- नए जीआईएस उपकेंद्रों की स्थापना तथा एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतकरण।
- ग्रिड निगरानी में सुधार हेतु आईटी/ओटी प्रणालियाँ जैसे- स्काडा (पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण), डीटी स्थिति की निगरानी, वितरण प्रबंधन प्रणाली आदि।
- प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य, जिनमें 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं को कवर किया जाना है, तथा स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्य, जिसमें 2.11 लाख फीडर और 52.53 लाख डीटी शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत अब तक 4.38 करोड़ उपभोक्ताओं, 1.63 लाख फीडरों तथा 14.84 लाख डीटी के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देशभर में 5.97 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटरिंग कार्य से स्वचालित ऊर्जा लेखांकन के माध्यम से यूटिलिटी की बिलिंग दक्षता में सुधार होता है, जिससे लिकेज तथा उच्च

हानि वाले क्षेत्रों की पहचान संभव होती है। साथ ही प्रीपेड प्रणाली के माध्यम से यूटिलिटी की राजस्व वसूली दक्षता में भी सुधार होता है।

हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन से जोड़ा गया है, जिसमें एटीएंडसी हानियों सहित प्रमुख वित्तीय एवं प्रचालन मानक शामिल हैं। इससे यूटिलिटी को सब्सिडी तथा सरकारी विभागों के बकाया का भुगतान समय पर प्राप्त होना सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त इससे यूटिलिटी को नियमित रूप से टैरिफ आदेश जारी करने, समय पर लेखा प्रकाशन, नियामकीय परिसंपत्तियों का सृजन न करने, लिकेज को कम करके बिलिंग में सुधार करने तथा बिल की गई ऊर्जा की वसूली में सुधार हुआ है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के सघन प्रयासों तथा किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप देशभर में एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2020-21 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% रह गई है जबकि इसी अवधि में औसत आपूर्ति लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के बीच का अंतर 0.69 रू. प्रति किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रू.प्रति किलोवाट घंटा हो गया है। देशभर में विद्युत आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे में भी सुधार हुआ है और औसत दैनिक आपूर्ति वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 22.6 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23.4 घंटे दर्ज की गई है।

लो.स.तारां.प्र.सं. 290

अनुबंध-I

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत निधि का विवरण (फरवरी, 2026 तक)

(करोड़ रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मार्ट मीटरिंग	हानि न्यूनीकरण	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	462	516
आंध्र प्रदेश	4,128	10,708	14,836
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226
असम	4,050	3,395	7,444
बिहार	2,021	10,559	12,581
छत्तीसगढ़	4,105	4,021	8,126
दिल्ली	13	324	337
गोवा	469	247	716
गुजरात	10,642	6,089	16,731
हरियाणा	-	6,794	6,794
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,116
जम्मू और कश्मीर	1,064	5,034	6,098
झारखंड	858	3,468	4,326
कर्नाटक	-	45	45
केरल	8,231	3,108	11,339
लद्दाख	-	876	876
मध्य प्रदेश	8,911	9,738	18,649
महाराष्ट्र	15,215	17,238	32,453
मणिपुर	121	627	748
मेघालय	310	1,232	1,542
मिजोरम	182	322	503
नागालैंड	208	466	674
पुदुचेरी	251	84	335
पंजाब	5,769	3,873	9,642
राजस्थान	9,715	18,693	28,408
सिक्किम	97	420	518
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803
तेलंगाना	-	120	120
त्रिपुरा	319	598	917
उत्तर प्रदेश	18,956	21,782	40,739
उत्तराखंड	1,106	2,371	3,477
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893
कुल	**1,30,671**	**1,52,854**	**2,83,525**

लो.स.तारां.प्र.सं. 290

अनुबंध-।।

आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति (फरवरी, 2026 तक)

राज्य	वास्तविक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में
अंडमान और निकोबार	0%	10%
आंध्र प्रदेश	37%	36%
अरुणाचल प्रदेश	22%	21%
असम	55%	59%
बिहार	49%	51%
छत्तीसगढ़	51%	44%
दिल्ली	0%	0%
गोवा	85%	27%
गुजरात	53%	48%
हरियाणा	16%	16%
हिमाचल प्रदेश	4%	21%
जम्मू और कश्मीर	38%	46%
झारखंड	51%	27%
कर्नाटक	43%	20%
केरल	30%	25%
लद्दाख	8%	10%
मध्य प्रदेश	52%	55%
महाराष्ट्र	38%	33%
मणिपुर	18%	25%
मेघालय	22%	27%
मिजोरम	52%	33%
नागालैंड	21%	27%
पुदुचेरी	32%	28%
पंजाब	19%	24%
राजस्थान	16%	22%
सिक्किम	19%	26%
तमिलनाडु	13%	18%
तेलंगाना	72%	49%
त्रिपुरा	55%	51%
उत्तर प्रदेश	44%	48%
उत्तराखंड	22%	28%
पश्चिम बंगाल	61%	19%
कुल	**38%**	**35%**

लो.स.तारा.प्र.सं.- 290

अनुबंध-।।।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य (फरवरी, 2026 तक)

राज्य/यूटी	उपभोक्ता मीटर (सं.)		डीटी मीटर (सं.)		फीडर मीटर (सं.)		कुल मीटर (सं.)	
	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित
अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	24,90,314	2,93,140	1,01,788	17,358	9,312	59,19,344	26,01,414
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	62,577	10,116	311	688	263	2,98,250	63,151
असम	63,64,798	49,75,780	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	50,36,390
बिहार	23,50,000	20,18,637	2,50,726	1,87,495	6,427	5,799	26,07,153	22,11,931
छत्तीसगढ़	59,62,115	35,49,336	2,10,644	76,021	6,720	5,968	61,79,479	36,31,325
दिल्ली			766		2,755	-	3,521	-
गोवा	7,41,160	219	8,369	1,729	827	827	7,50,356	2,775
गुजरात	1,64,87,100	39,62,299	3,00,487	1,44,571			1,67,87,587	41,06,870
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	8,09,994	39,012	24,688	1,951	1,656	28,41,908	8,36,338
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	6,33,990	88,037	18,812	2,608	1,445	14,97,690	6,54,247
झारखंड	13,41,306	6,51,745	19,512	1,130	1,226	881	13,62,044	6,53,756
केरल	1,32,89,361	1,73,467	87,615	286	6,025	2,904	1,33,83,001	1,76,657
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	34,12,471	4,19,396	1,63,640	29,708	26,734	1,34,29,206	36,02,845
महाराष्ट्र	2,35,64,747	92,04,549	4,10,905	2,95,172	29,214	31,524	2,40,04,866	95,31,245
मणिपुर	1,54,400	39,272	11,451	796	357	236	1,66,208	40,304
मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
मिजोरम	2,89,383	30,250	2,300	440	398	297	2,92,081	30,987
नागालैंड	3,17,210	36,218	6,276	845	392	168	3,23,878	37,231
पुदुचेरी	4,03,767	26,046	3,105	89	180	123	4,07,052	26,258
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	2,788	89,81,414	2,788
राजस्थान	1,42,74,956	28,85,872	4,34,608	38,709	27,128	25,426	1,47,36,692	29,50,007
सिक्किम	1,44,680	86,956	3,229	1,473	633	471	1,48,542	88,900
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
त्रिपुरा	5,47,489	1,97,087	14,908	7,820	473	473	5,62,870	2,05,380
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	75,23,920	15,26,801	2,93,353	20,874	25,668	2,85,26,730	78,42,941
उत्तराखंड	15,87,870	4,75,192	59,212	8,849	2,602	2,500	16,49,684	4,86,541
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,64,262	3,05,419	58,702	11,874	11,291	2,10,35,262	6,34,255
आरडीएसएस-कुल	**19,79,30,131**	**4,38,10,453**	**52,52,692**	**14,84,450**	**2,05,475**	**1,69,379**	**20,33,88,297**	**4,54,64,282**

टिप्पणी: फरवरी, 26 तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 4.54 करोड़ स्मार्ट मीटर और आरडीएसएस सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

****